अध्याय - 3

शैक्षिक सुरक्षण

भारत सरकार ने समाज के पिछड़े वर्ग के शैक्षिक विकास के महत्व को अनेक दशकों पूर्व अनुभव किया था और तदनुसार, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में दलित वर्गों को (जो अब अ०जा० तथा अ०ज०जा० हैं) रियायतें और प्रोत्साहन दिए गए थे। आजादी के बाद और संविधान स्वीकार किए जाने के पश्चात् संविधान में विशेष उपबंधों के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में सुरक्षणों का प्रावधान किया गया।

3.2 अनुच्छेद 29(1), 46, 15(4) और 350 क में अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए शैक्षिक सुरक्षणों का प्रावधान है। जहां तक शैक्षिक विकास का संबंध है, उपर्युक्त अनुच्छेदों में से 15(4) और 46 अधिक महत्वपूर्ण हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किए गए अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है कि "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।" इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए सरकार को विशिष्ट उपाय करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। अत: संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15 का संशोधन किया गया और उसमें अनुच्छेद 15(4) के रूप में खण्ड 4 जोड़ा गया। इसके द्वारा राज्य को अ०जा०/अ०ज०जा० के शैक्षिक विकास के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति मिली और फलस्वरूप, सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों जैसी तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं सहित सभी शैक्षिक संस्थाओं में अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए सीटों का आरक्षण किया।

3.3 संविधान के अनुच्छेद 15(4) में भारत सरकार को विशेष प्रावधान करने का दायित्व दिए जाने के अनुसरण में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय (जो अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय है) ने पहली बार सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को 23-11-1954 को पत्र लिखा जिसमें यह सुझाव दिया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में 20% सीटें आरक्षित की जाएं और यह प्रावधान किया जाए कि, जहां कहीं आवश्यक हो, प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंकों में 5% की छूट दी जाए। अप्रैल 1964 में इसमें आंशिक परिवर्तन किय गया जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत निश्चित किया गया और इस प्रतिशत को परस्पर परिवर्तनशील भी बनाया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी उन विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को अलग से पत्र लिखा जिनमें आयुर्विज्ञान संकाय हैं और यह सुझाव दिया कि सभी स्नातकोत्तर मेडिकल और डेटल कालिजों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों केलिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5% सीटों का आरक्षण किया जाए और न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंकों में 5% की छूट दी जाए।

3.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी विश्वविद्यालयों और उनके नियंत्रणाधीन कालेजों को यह सूनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त (गाइडलाइन्स) भेजे कि विभिन्न शाखाओं के सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए अनु०जाति तथा अनु० जन जाति के विद्यार्थियों को रियायत दी जाए। 1982 में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया।

3.5 वर्तमान में विश्वविद्यालयों और कालिजों में सामान्य, तकनीकी, मेडिकल तथा अन्य व्यावसायिक शिक्षा के स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रवेश के लिए निम्नलिखित आरक्षण दिए जाने की अनुमति है :

अनुसूचित जाति : 15%

अनुसूचित जनजाति : 7½%

अ०जा० तथा अ०ज०जा० को छात्रावासों में सीटें आवंटित करने के लिए भी आरक्षण किया जाता है।

3.6 शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश देने तथा सामान्य छात्रावासों में सीटें आवंटित करने के लिए उपरोक्त सुरक्षण दिए जाने के अतिरिक्त, केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए अन्य अनेक उपाय भी किए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के वजीफे-छात्रवृत्तियां देना, इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों के लिए पुस्तक बैंक स्थापित करना और मध्यान्ह भोजन, देना, किताबें, स्टेशनरी और वर्दी आदि (प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को) देना शामिल हैं.

अ०जा० तथा अ०ज०जा० की छात्राओं के लिए छात्रावास

3.7. यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस इरादे से शुरू की गई थी कि अ०जा०/अ०ज०जा० की छात्राएं अपने घरों से दूर स्थित स्थानों पर मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर सकें जहां अन्यथा, छात्रावास की सुविधा न होने के कारण, वे शिक्षा प्राप्त न कर सकती हों। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना मिडिल तथा उच्चतर स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने वाली अ०जा०/अ०ज०जा०की छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण और विद्यमान छात्रावासों के विस्तार के लिए 50 : 50 के आधार पर (संघ क्षेत्रों के लिए 100%) कार्यान्वित की जाती है। स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी/निजी संगठनों को भी केन्द्रीय सहायता केवल छात्रावासों के विस्तार के लिए इस शर्त पर दी जाती है कि संबंधित संगठन 10% व्यय वहन करने को तैयार हों और ऐसे मामलों में शेष 90% व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच

50 : 50 के आधार पर विभाजित किया जाता है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एस०सी०पी० के लिए दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग छात्रावासों का रखरखाव और मरम्मत करने के लिए उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। यह उत्साहजनक बात है कि छात्रावासों के निर्माण लागत की अधिकतम सीमा 1994-95 के वर्ष से हटा दी गई है। आगे से निर्माण लागत का आकलन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लोक निर्माण विभाग की दरों पर किया जाएगा। जो दर कम होगी उसी के आधार पर आकलन किया जाएगा। 100 छात्राओं की आवास क्षमता में से 10% स्थान गैर अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। आठवीं योजना के लिए किए गए 26.00 करोड़ रु० के आबंटन में से 6.00 करोड़ रु० की राशि 19452 छात्राओं की आवास क्षमता वाले अ०जा० की छात्राओं के 213 छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई। इसी प्रकार 1993-94 में अ०ज० जाति की छात्राओं के 52 छात्रावासों के निर्माण के लिए 2.64 करोड़ रु० की राशि दी गई। यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में छात्रावास ऐसे स्थानों पर बनाए जाते हैं जो दूर होते हैं या असुविधाजनक होते हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि अधिक संख्या में छात्राएं छात्रावासों में रहें तो छात्रावासों का निर्माण समुचित स्थानों पर किया जाना चाहिए। इन छात्रावासों के रखरखाव के बारे में आमतौर पर शिकायत रहती है। छात्रावासों के रखरखाव का दायित्व राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों पर है। इसके लिए उन्हें बजट में समुचित प्रावधान करना चाहिए। इससे अ०जा०/अ०ज०जा० की स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या में कमी करने में भी सहायता मिलेगी।

अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों के लिए छात्रावास

3.8 यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1989-90 में शुरू की गई थी और लड़कियों की छात्रावासों की पूर्ववर्णित योजना के अनुरूप चलाई जाती है। अ०जा० के लड़कों के छात्रावासों की योजना के अंतर्गत 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 7020 छात्रों के रहने के लिए 101 छात्रावासों के निर्माण के लिए 6.50 करोड़ रुपये की राशि दी गई। प्राप्त सूचना के अनुसार इस योजना के कार्यान्वयन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की सरकारों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को, जहां अनुसूचित जातियों में साक्षरता की दर कम है, इस योजना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसी प्रकार, लड़कों के छात्रावासों की योजना के अंतर्गत 1993-94 के दौरान 2631 विद्यार्थियों के रहने के लिए 53 छात्रावासों के लिए 2.70 करोड़ रु० की राशि दी गई।

टी०एस०पी० क्षेत्र में आश्रम स्कूल

3.9 केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को आश्रम स्कूलों के भवनों, छात्रावासों और स्टाफ़ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 50 : 50 की भागीदारी के आधार पर सहायता दी जाती है। इनके रखरखाव पर होने वाला व्यय राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जाना है। संघ-शासित क्षेत्रों को शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है लेकिन रखरखाव का व्यय संघ क्षेत्र प्रशासन को वहन करना होता है। योजना में शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर शामिल हैं। 1993-94 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को 64 निर्माणों के लिए, जिसमें 41 निर्माण दूसरे चरण में थे, 2.52 करोड़ रु० की राशि मंजूर की गई। अनुसूचित जनजातियों के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शैक्षिक विकास के लिए यह एक बहुत उपयोगी योजना है। सभी सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को आगे आना चाहिए और इस योजना का पूरा लाभ उठाना चाहिए।

विदेशों में यात्रा व्यय अनुदान, उच्चतर शिक्षा के लिए अ०जा०, अ०ज०जा० के छात्रों और अन्य छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति

3.10 इस योजना के अन्तर्गत अ०जा०/अ०ज०जा० के मेधावी छात्रों, अधिसूची से निकाली गई यायावार और अर्ध यायावार जनजातियों, अन्य धर्मों में परिवर्तन करने वाले अ०जा० तथा कृषि मज़दूरों/पारंपरिक दस्तकारों के बच्चों को विदेशों में उच्च डिग्री और डाक्टरोत्तर अध्ययनों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। जिन छात्रों को किसी विदेशी सरकार या संस्थान से योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति मिलती है उन्हें ऐसे मामलों में यात्रा व्यय अनुदान भी दिया जाता है यदि उस छात्रवृत्ति में यात्रा व्यय अनुदान शामिल नहीं होता। प्रत्येक वर्ष में 30 राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां और 9 यात्रा व्यय अनुदान दिए जाते हैं। 1993-94 के दौरान, 30 उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां दी गई। 1954-55 में इस योजना के शुरू किए जाने के बाद से अब तक 479 छात्रों ने इस योजना का लाभ उठाया है। 1993-94 में इस पर 260 लाख रु० व्यय किए गए।

अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों की योग्यता में वृद्धि

3.11 गत वर्षों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सभी विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को समय-समय पर अनेक मार्ग-निर्देश भेजे गए जिनमें कहा गया कि सभी तकनीकी और शैक्षिक संस्थाओं में अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए क्रमशः 15% और 7.5% सीटें आरक्षित की जाएं। हमारा पिछला अनुभव यह रहा कि अनेक प्रयत्न करने पर भी विभिन्न तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों में अ०जा०/अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। इन पाठ्यक्रमों में उनकी कम संख्या को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने 1987-88 में अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों की योग्यता में वृद्धि करने के लिए एक योजना शुरू की। 1993-94 के मध्य में यह योजना कल्याण मंत्रालय में स्थानान्तरित कर दी गई। जिन विद्यार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत चुना जाता है उनकी शैक्षिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, विशेषरूप से अतिरिक्त शिक्षण दिया जाता है। उन्हें अच्छे आवासीय स्कूलों में रखा जाता है जहां कक्षा 9 से कक्षा 12 तक उनकी शिक्षा के लिए 4 वर्ष के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। भाषा, गणित और विज्ञान आदि विषयों में उपचारी शिक्षण दिया जाता है और विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली प्रवेश परीक्षाएं पास करने की आवश्यक योग्यता प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को विशेष शिक्षण दिया जाता है। विशेषज्ञों द्वारा विशेष शिक्षण दिया जाता है जबकि उपचारी शिक्षण स्कूल के घण्टों के बाद दिया जाता है जो चुने हुए स्कूलों में विद्यार्थियों के रहने के दौरान (कक्षा 9 से 12 तक) दिया जाता है। शुरू में इस योजना के अन्तर्गत 54 स्कूलों में 1000 विद्यार्थियों (670 अ०जा० और 330 अ०ज०जा०) को लाने का प्रस्ताव था। इस योजना

के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 100% धन दिया जाता है। इस योजना के लिए 8वीं योजना में 2.60 करोड़ रु० खर्च करने का प्रावधान किया गया है। 1993-94 के दौरान केवल पांच राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान ने इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुदान का लाभ उठाया। 1993-94 के दौरान 0.55 करोड़ रुपए के प्रावधान में से इन राज्यों को अ०जा०/अ०ज०जा० के 334 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए 0.15 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी गई। यह एक बहुत अच्छी योजना है और राज्यों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस योजना की प्रगति धीमी होने का कारण यह हो सकता है कि इस योजना के अन्तर्गत शिक्षकों को दिया जाने वाला मानदेय 1987-88 के वर्ष में निर्धारित किया गया था जो अब पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार पुस्तकों, स्टेशनरी, फीस, भोजन व्यय और जेब खर्च के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि पर्याप्त नहीं थीं। कल्याण मंत्रालय को इस योजना का पुनर्विलोकन करने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए ताकि व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अ०जा०/अ०ज०जा० के प्रवेश में वृद्धि हो सके।

उच्च शिक्षा संस्थानों में विशेषकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अ०जा०/अ०ज०जा० का प्रवेश

3.12 यह एक सांविधानिक दायित्व है कि अ०जा०/अ०ज०जा० की उन्नति के लिए भारत के संविधान में इन समुदायों के लिए समय-समय पर किए गए आरक्षण के प्रावधानों और इस बारे में सरकार की नीति को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू किया जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कालिजों में अ०जा०/अ०ज०जा० के आरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्ग-निर्देशों की ओर विश्वविद्यालयों के कालिजों और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करता रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में ससद के एक अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्द्धन तथा शिक्षा, परीक्षा और अनुसंधान के मानक निर्धारित करने और उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। यह आवश्यक था क्योंकि भारत के संविधान में यह माना गया है कि उच्चतर शिक्षा केन्द्र का दायित्व है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस अधिनियम (वि०वि०अ०आ० अधिनियम, 1956) के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार कार्य करता है।

3.13 अ०जा०/अ०ज०जा० को जीवन की मुख्य धारा में लाने और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न उच्चतर शिक्षा देने वाले कालेजों/विश्वविद्यालयों में उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए और समाज के कम सुविधा प्राप्त वर्गों की सामाजिक समानता और उन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन वर्गों के लिए विशेष योजनाओं द्वारा और नियमित योजनाओं में विशिष्ट प्रावधान करके, अपना योगदान करता रहा है।

3.14 विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों में राज्य की कुल आबादी में अ०जा०/अ०ज०जा० की जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए आरक्षण का भिन्न-भिन्न प्रतिशत निश्चित किया गया है। मोटे तौर पर यह सिद्धान्त माना जाता है कि अ०जा०/अ०ज०जा० के आरक्षण का प्रतिशत कुल आबादी में उनकी आबादी के प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अ०जा० के लिए 15% और अ०ज०जा० के लिए 7.5% आरक्षण निश्चित किया गया है। निहितार्थ यह है कि सभी आरक्षित सीटें आरक्षण के लिए निश्चित प्रतिशत के अनुपात में भरी जाएं। यद्यपि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पर्याप्त मार्गनिर्देश जारी किए गए थे जिनके अनुसार आरक्षण को पूरा किया जा सकता था। तथापि, आरक्षण के विषय को अधिक स्पष्ट करने तथा अधिक सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रवेश में आरक्षण के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए संशोधित मार्गनिदेश जारी किए हैं। ये मार्गनिर्देश अपर सचिव के अ०शा० पत्र एफ-८-१०९ (एससीटी) दिनांक १५ जून 1993 द्वारा जारी किए गए थे और विश्वविद्यालयों में आरक्षण की नीति को पूर्णत: सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग और समर्थन देने के लिए कहा गया था। संशोधित मार्गनिदेश बहुत व्यापक हैं और यदि उनका समुचित तरीके से कार्यान्वयन किया जाए तो शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की अ०जा०/अ०ज०जा० की आकांक्षाओं की पूर्ति में बहुत सहायता मिल सकती है।

3.15 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व वास्तव में कितना है यह पता लगाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सूचना एकत्र करने का प्रयत्न किया गया। यह छ: संकायों अर्थात् मानविकी और सामाजिक विज्ञान, कृषि विज्ञान सहित विज्ञान, इंजीनियरिंग टैक्नोलाजी, आयुर्विज्ञान तथा मेडिकल और इंजीनियरिंग टैक्नोलाजी के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा अन्य पाठ्यक्रमों के बारे में वर्ष 1992-93 से संबंधित सूचना है। सारणी-1 में दी गई सारणीबद्ध सूचना से पता चलता है कि उपरोक्त पाठ्यक्रमों में अ०जा०/अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व निराशाजनक है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया से सम्बन्धित प्रत्येक पाठ्यक्रम का अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं था और इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गई। वि०अ०आ० द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से पता चलता है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में अ०जा० का प्रतिनिधित्व 2.60% से 9.92% के बीच था और अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व 0.09% से 6.41% के बीच था। यह प्रतिनिधित्व केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित 15% और 7.5% से बहुत कम है। यह गंभीर चिन्ता का विषय है और सम्बन्धित विश्वविद्यालयों, वि०अ०आ० तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इन पाठ्यक्रमों में इन जातियों का प्रतिनिधित्व इतना कम होने का कारण पता लगाना चाहिए। जैसा पहले कहा जा चुका है हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्तर पर प्रवेश बढ़े और साथ ही इन स्तरों पर छात्रों द्वारा स्कूल छोड़ना या स्कूल में न आना रोका जाए और इन जातियों के प्रतिभावान छात्रों को खोज कर उन्हें पब्लिक स्कूलों में रखा जाए तथा उन्हें निचले स्तरों पर अतिरिक्त शिक्षण दिया जाए ताकि वे अन्य विद्यार्थियों से स्पर्धा कर सकें ओर इन पाठ्यक्रमों में उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़े। यह भी पहले ही कहा जा चुका है कि अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ाने के लिए चलाई जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का इसके लिए पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। उपरोक्त योजना के अलावा सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अ-जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों के लिए चलाए जा रहे उपचारी पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से जारी रखा जाए और जिन विश्वविद्यालयों ने यह पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए हैं वे उन्हें तुरन्त शुरू कर दें।

सारणी—I

शिक्षा वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने में अ०जा०/अ०ज०जा० को मिले प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम और पाठ्यक्रम	अ.जा./अ.ज.जा. सहित कुल प्रवेश	अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%	अ.जा./अ.ज.जा.	कुल संख्या का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**अलीगढ़-मुस्लिम विश्वविद्यालय**							
(1)	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	2637	44	1.67	—	—	44	1.67
(2)	कृषि विज्ञान सहित विज्ञान	2244	20	0.89	—	—	20	0.89
(3)	इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी	958	11	1.15	-	—	11	1.15
(4)	आयुर्विज्ञान	419	ब्यौरा उपलब्ध नहीं					
(5)	आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम	367	—	—	—	—	—	—
(6)	अन्य पाठ्यक्रम	969	17	1.75	—	—	17	1.75
2.	**बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय**							
(1)	मानविकी और सामाजिक विज्ञान		ब्यौरा उपलब्ध नहीं					
(2)	कृषि विज्ञान सहित विज्ञान		ब्यौरा उपलब्ध नहीं					
(3)	इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी		ब्यौरा उपलब्ध नहीं					
(4)	आयुर्विज्ञान			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
(5)	आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
(6)	अन्य पाठ्यक्रम			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
3.	**जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली**							
(1)	मानविकी और सामाजिक विज्ञान			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
(2)	कृषि विज्ञान सहित विज्ञान			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
(3)	इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
(4)	आयुर्विज्ञान			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
(5)	आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
(6)	अन्य पाठ्यक्रम			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				

सारणी—I *(जारी)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(4) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली								
(1) मानविकी और सामाजिक विज्ञान		3224	351	10.89	135	4.19	486	15.07
(2) कृषि विज्ञान सहित विज्ञान		465	47	10.11	10	2.15	57	12.26
(3) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी				यह पाठ्यक्रम नहीं है				
(4) आयुर्विज्ञान				यह पाठ्यक्रम नहीं है				
(5) आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम				यह पाठ्यक्रम नहीं है				
(6) अन्य पाठ्यक्रम			कोई अन्य पाठ्य-क्रम नहीं है					
5. पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग								
(1) मानविकी और सामाजिक विज्ञान		2600	18	0.69	2008	77.23	2026	77.92
(2) कृषि विज्ञान सहित विज्ञान		531	15	2.82	209	39.36	224	42.18
(3) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी			-शून्य-					
(4) आयुर्विज्ञान			-शून्य-					
(5) आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम			-शून्य-					
(6) अन्य पाठ्यक्रम			-शून्य-					
6. पांडिचेरी विश्वविद्यालय								
(1) मानविकी और सामाजिक विज्ञान		91	6	6.59	—	—	6	6.59
(2) कृषि विज्ञान सहित विज्ञान		116	17	14.66	1	0.86	18	15.52
(3) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी			ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है					
(4) आयुर्विज्ञान			ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है					
(5) आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम		59	7	11.86	1	1.69	8	13.56
(6) अन्य पाठ्यक्रम		107	11	10.28	1	0.93	12	11.21
7. दिल्ली विश्वविद्यालय								
(1) मानविकी और सामाजिक विज्ञान		30864	3458	11.20	417	1.35	3875	12.55
(2) कृषि विज्ञान सहित विज्ञान		6990	495	7.08	63	0.90	558	7.98

सारणी—I *(जारी)*

1 2	3	4	5	6	7	8	9
(3) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी	640	72	11.25	15	2.34	87	13.59
(4) आयुर्विज्ञान	518	64	12.36	32	6.18	96	18.53
(5) आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2350	366	15.57	57	2.43	423	18.00
(6) अन्य पाठ्यक्रम		-शून्य-					
8. हैदराबाद विश्वविद्यालय							
(1) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	542	90	16.61	20	3.69	110	20.30
(2) कृषि विज्ञान सहित विज्ञान	302	48	15.89	5	1.66	53	17.55
(3) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी	50	8	16.00	4	8.00	12	24.00
(4) आयुर्विज्ञान		ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है					
(5) आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम		ऐसा कोई संकाय नहीं है					
(6) अन्य पाठ्यक्रम		कोई अन्य संकाय नहीं है					
9. विश्व भारती विश्वविद्यालय							
(1) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	420	37	8.31	8	1.90	45	10.71
(2) कृषि विज्ञान सहित विज्ञान	283	43	15.19	5	1.77	48	16.96
(3) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी		ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है					
(4) आयुर्विज्ञान		ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है					
(5) आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम	404	47	11.63	4	0.99	51	12.52
(6) अन्य पाठ्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—
योग							
(1) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	40378	4004	9.92	2588	6.41	6592	16.33
(2) कृषि विज्ञान सहित विज्ञान	10931	685	6.27	293	2.68	978	8.95
(3) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी	1648	91	5.52	19	1.15	110	6.67
(4) आयुर्विज्ञान	937	64	6.83	32	3.42	96	10.25
(5) आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम	3180	420	13.21	62	1.95	482	15.16
(6) अन्य पाठ्यक्रम	1076	28	2.60	1	0.09	29	2.70

नोट : इसमें इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय शामिल नहीं है।

आयोग में प्राप्त शिकायतें

3.16 रिपोर्ट के वर्ष के दौरान विभिन्न शैक्षिक विषयों से सम्बन्धित 108 शिकायतें/अभ्यावेदन आयोग के मुख्यालय में प्राप्त हुए। इनमें से बीस अभ्यावेदनों को फ़ाइल कर दिया गया क्योंकि वे आयोग के बजाय अन्य प्राधिकरणों को संबोधित थे और आयोग को केवल उनकी प्रतियां भेजी गई थीं। 78 मामलों में कार्यवाही की गई और 10 को फ़ाइल कर दिया गया क्योंकि जाच करने पर यह पता चला कि वे आयोग के हस्तक्षेप के योग्य नहीं थे। इन 10 मामलों में प्रथम दृष्टि में किसी सुरक्षण या अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था वरन् उनमें ऐसे विषयों के बारे में कहा गया था जैसे कार्य सुधार के बारे में तकनीकी कार्यशाला आयोजित करना, नकल करने में अ०जा० के विद्यार्थी को झूठा फंसाने के लिए परीक्षा केन्द्र के निरीक्षकों का कथित षड़यत्र, उ०प्र० में इटावा के स्कूल उप-निरीक्षक के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप, उ०प्र० के एक गांव में स्कूल खोलने की प्रार्थना, सभी स्कूलों में समान पाठ्यक्रम शुरू करना, दिल्ली स्थित पत्राचार स्कूल से ट्यूशन फीस की रकम वापस दिलाने के लिए, राजस्थान में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं के बारे में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करने की प्रार्थना, स्कूल में प्रवेश के समय केवल एक बार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक करने की प्रार्थना आदि।

3.17 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का तेजी से शैक्षिक विकास करने के लिए सांविधानिक तथा अन्य सुरक्षण देने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के आशय में कोई कमी न होने पर भी इस विषय में आरोप लगाए जाते हैं कि कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न स्तरों पर उन्हें जानबूझ कर वंचित रखा जाता है, विभिन्न उपायों को क्रियान्वित नहीं किया जाता और उनको दिए जाने वाले सुरक्षणों का उल्लंघन होता है। इस आयोग को विभिन्न सुरक्षणों के कथित उल्लघन के बारे में शिकायतें तथा अभ्यावेदन व्यक्तियों, संस्थाओं/संगठनों से प्राप्त होते रहे हैं। रिपोर्ट के वर्ष में आयोग के मुख्यालय में विभिन्न शैक्षिक मामलों के सम्बन्ध में 110 शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए। ये मामले मुख्यत: निम्नलिखित वर्गों के थे :—

सारणी—2

क्र.स.	विषय वस्तु	मामलों की सं.
1	2	3
1.	सामान्य शिक्षा के स्कूलों/कालिजों में प्रवेश न देना	17
2.	मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य व्यावसायिक कालिजों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश न देना	24
3.	वज़ीफे/छात्रवृत्तियां न देना	6
4.	आर्थिक सहायता देने/नए स्कूल खोलने/प्रांतीय स्कूलों को सरकार द्वारा लिए जाने/शिक्षा/छात्रावास की पर्याप्त सुविधाएं देने की प्रार्थना आदि	11
5.	उच्च जातियों द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० के शिक्षकों/विद्यार्थियों को परेशान करना	15
6.	जाति के आधार पर अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों को परीक्षा में अंक देने में भेदभाव/उन्हें जानबूझकर अनुत्तीर्ण करना	2
7.	व्यावसायिक कालिजों में प्रवेश की पात्रता का मानदण्ड शामिल करना	2
8.	गोवा के मेडिकल कालिज में प्रवेश की प्रतिशतता का घटाया जाना।	1
9.	ऐसे मामले जो आयोग के हस्तक्षेप के योग्य नहीं थे	10
10.	अन्य	22
	जोड़ :	110

3.19 एक मामला प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत हुआ जिसमें शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अ०जा०/अ०ज०जा० को दिए गए सुरक्षणों का उल्लंघन हुआ था। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक संबंधित अधिकारियों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था और उत्तर मिलने पर ही अन्तिम राय कायम की जाएगी।

वह मामला, संक्षेप में, निम्नलिखित है :

श्री नाथू लाल नाहर, अर्जुन निवास, 21 नन्दपुरी, 22 गोदाम, जयपुर द्वारा हिन्दी में भेजी गई बिना तारीख़ की एक शिकायत आयोग के मुख्यालय में 19-8-1993 को प्राप्त हुई थी। उनका आरोप था कि उनके पुत्र अनिल कुमार को, जो आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर में कक्षा 6 में था, अ०जा०/अ०ज०जा० और यायावर जनजातियों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति देने की राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत सेंट ज़ेवियर स्कूल, जयपुर में प्रवेश के लिए एक सीट आवंटित की गई थी। लेकिन कालिज के प्रिंसिपल ने कथित रूप से अ०जा० और अ०ज०जा० के विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इनकार किया। उप निदेशक (माध्यमिक), प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर ने अपने दिनांक 20-7-93 के पत्र द्वारा इस लड़के का नाम सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा था। इस मामले की जाच करने से पता चला कि सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल ने जाति के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया वरन् उनके स्कूल में पढ़ रहे अ०जा० एवं अ०ज०जा० के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि 59,219/- रु० राज्य सरकार द्वारा अदा न किए जाने के कारण किया। स्कूल अधिकारी मार्च, 1993 से शिक्षा (प्राथमिक और माध्यमिक) निदेशक, बीकानेर को पत्र भेज रहे थे और अपने दिनांक 7-7-1993 के पत्र में प्रिंसिपल ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि क्योंकि उनके स्कूल में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों से सम्बन्धित कोई अदायगी स्कूल को नहीं की गई थी और विभाग द्वारा इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया था, इसलिए उनके सामने यही एक विकल्प था कि वे अ०जा० एवं अ०ज०जा० विद्यार्थियों के माता-पिता से नियमित

फीस अदा करने या उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित कर लेने को कहें। उन्होंने उपरोक्त पत्र पर भी अपने हाथ से यह लिखा था :

"कृपया मुझे यह बताएं कि छात्रवृत्ति की राशि मंजूर की जाएगी। हम अ०जा०/अ०ज०जा० की छात्रवृत्ति के किसी नए विद्यार्थी को तभी प्रवेश दे सकते हैं जब पिछली राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।"

3.21 इसके लिए स्कूल अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराकर उन पर सुरक्षणों के उल्लंघन का आरोप लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने अपने ही आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया। इसलिए आयोग ने 1-3-1994 को इस विषय में शिक्षा निदेशक (प्राथमिक तथा माध्यमिक) राजस्थान सरकार से सम्पर्क किया लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है।

3.22 एक मामले में शिकायतकर्त्ता पलवल (हरियाणा) का एक अनुसूचित जाति का विद्यार्थी था जिसने एन०सी०ई०आर०टी० (राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्) द्वारा चलाए जा रहे जवाहर नवोदय विद्यालय, चांदपुर, ज़िला फरीदाबाद—हरियाणा की प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी लेकिन उसे इस कारण प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि उसका पहला स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं था। आयोग ने इस विषय में प्रिंसिपल से सम्पर्क किया और विद्यार्थी के पिता ने हमें सूचित किया कि उसके पुत्र को प्रवेश दे दिया गया है।

3.23 दूसरे मामले में आयोग द्वारा हस्तक्षेप करने और सहायक आयुक्त, के०वि० संगठन, बम्बई क्षेत्र को लिखने के बाद एक अनुसूचित जाति की लड़की को एक केन्द्रीय विद्यालय से महाराष्ट्र के दूसरे केन्द्रीय विद्यालय में स्थानांतरित करने की प्रार्थना मंजूर की गई।

3.24 रिपोर्ट के वर्ष के दौरान आयोग के मुख्यालय में मेडिकल/इंजीनियरिंग और अन्य पाठ्यक्रमों जैसे फार्मेसी, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और आयुर्वेद आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले आरक्षणों के सुरक्षण के उल्लंघन के 26 मामले प्राप्त हुए। इनमें ऐसे भी मामले थे जिनमें प्रवेश देने से इनकार करने की शिकायत नहीं की गई थी वरन् आरक्षण कोटा में से प्रवेश के लिए एक सीट आवंटित करने की प्रार्थना की गई थी। गोवा से प्राप्त एक अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने गोवा में मेडिकल कालिजों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का कोटा कम कर दिया है। अभ्यावेदन भेजने वालों ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया है और आयोग को प्रतिवादी बनाया है। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

3.25 आयोग को मध्य प्रदेश के कुछ व्यथित अ०जा०/अ०ज०जा० विद्यार्थियों का संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिन्होंने यद्यपि विभिन्न मेडिकल कालिजों में प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों के लिए प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी फिर भी उन्हें, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए जाने के कारण, विभिन्न मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित रखा गया।

3.26 मेडिकल कालिजों में प्रवेश से सम्बन्धित अन्य मामलों में एक संगठन द्वारा भेजा गया एक सामान्य अभ्यावेदन भी था जिसमें उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालिजों में प्रवेश सम्बन्धी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। यह मामला राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया। परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इस अभ्यावेदन में किसी विशिष्ट मामले का उदाहरण नहीं दिया गया था वरन् एक सामान्य आरोप लगाया था। एक अन्य मामले में आयोग से उम्मीदवार को एक मैडीकल कालिज से मध्य प्रदेश के दूसरे मेडीकल कालिज में स्थानांतरित किए जाने में सहायता करने की प्रार्थना की गई थी। यह मामला सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दिया गया। मध्य प्रदेश से प्राप्त दोनों मामलों में अपने बच्चों को मेडिकल कालिज में प्रवेश दिलाने के इच्छुक अनुसूचित जातियों के माता-पिता ने यह प्रार्थना की थी कि उन्हें उन सीटों का आवंटन किया जाए जो केन्द्रीय सरकार के अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य के मेडिकल कालिजों के आरक्षित कोटा में है. दोनों अभ्यावेदनकर्ताओं को सूचित किया गया कि वे केवल अपने ही राज्य की आरक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी मामले में, आयोग कोई आवंटन नहीं करता।

3.27 यह पाया गया कि उपरोक्त मामलों में किसी को किसी अधिकार से वंचित नहीं किया गया था या किसी सुरक्षण का उल्लंघन भी नहीं हुआ था वरन् केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों अथवा अपने राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में केन्द्रीय/राज्य संस्थानों में सेवारत कर्मचारियों के बच्चों का नुकसान हो रहा था। जिन राज्यों में केन्द्रीय सरकार का कोई व्यावसायिक अथवा सामान्य शैक्षिक संस्थान भी नहीं है, वहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश के लिए आरक्षण का लाभ उठाने में कड़ी कठिनाई होती है। सम्भवत: राज्य सरकारों के नियंत्रण में चलने वाली सभी मेडिकल/इंजीनियरिंग संस्थाओं में पात्रता का मुख्य मानदण्ड यह है कि उम्मीदवार ने उसी राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्था से अर्हक परीक्षा (10+2) पास की हो। इससे केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को अपने ही राज्य में प्रवेश पाने में कठिनाई होती है क्योंकि अधिकतर मामलों में उन्होंने उन राज्यों में स्थित संस्थानों से अर्हक परीक्षा (10+2) पास की होती है जिन राज्यों में उनके माता-पिता उस अवधि में तैनात होते हैं। ऐसे माता-पिता के बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश पाने में अधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं और आरक्षण लाभों से वंचित रहते हैं। अन्य राज्यों में भी वे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वह सुविधा वे अपने ही राज्यों में प्राप्त कर सकते हैं।

3.28 अत: आयोग का विचार है कि इस सम्बन्ध में प्रचलित नियमों/अनुदेशों की पुनरीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार उपरोक्त वर्ग के मामलों में नियमों में समुचित ढील देने या केवल सीमित ढील देने पर विचार कर सकती है। ऐसा करने का एक तरीका यह हो सकता है कि जिन राज्यों में मेडिकल/इंजीनियरिंग कालिज हैं उनकी संबंधित सरकारों से कहा जाए कि वे पारस्परिक आधार पर अपने राज्य से बाहर सेवा करने वाले केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए कुछ प्रतिशत सीटों का कोटा आरक्षित रखें। जहां इन सीटों को भरने के लिए ऐसा कोई उम्मीदवार न हो, वहां वे सीटें संबंधित राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को दे दी जाएं।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में प्रत्येक से एक, कुल मिलाकर चार मामले ऐसे प्राप्त हुए जिनमें विभिन्न मेडिकल कालिजों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों पर प्रवेश देने से इनकार किया गया था।

3.29 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए०आई०आई० एम०एस०), नई दिल्ली के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अ०जा०/अ०ज०जा० के प्रवेश के अधिकार के कथित अपवंचन का मामला आयोग के मुख्यालय में दिसम्बर 1993 में प्राप्त हुआ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा ए०आई०आई०एम०एस० के अध्यक्ष के नाम भेजे गए अभ्यावेदन दिनांक 21-12-93 की एक प्रति संस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्नातकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वयं आकर 22-12-93 को इस आयोग में दी। यह आरोप लगाया गया था कि ए०आई०आई०एम०एस० के अधिकारी संस्थान के स्नातकों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षित 33% कोटा में से प्रवेश न देकर अनु० जाति तथा अनुसूचित जनजाति के स्नातकों के विरुद्ध पक्षपात कर रहे थे। यह आवेदन किया गया था कि ए०आई०आई०एम०एस० के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा देने के अपने ही स्नातकों के लिए रखे गए विद्यमान योग्यता मानदण्ड पर पुन: विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह मानदण्ड अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के हित में नहीं था। अभ्यावेदनकर्ताओं के अनुसार, "ए०आई०आई०एम०एस० के जिन अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों ने एम०बी०बी०एस० की परीक्षा पास करने में दो से अधिक बार प्रयत्न किया हो वे ए०आई०आई०एम०एस० तथा अन्य सभी विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली स्नातकोत्तर परीक्षाओं में बैठने के पात्र नहीं होंगे। इससे ए०आई०आई०एम०एस० के अल्पसंख्यक समूह के स्नातकों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है।" इस उक्ति के समर्थन में उन्होंने एक उदाहरण दिया जिसमें नवम्बर 1993 में हुई स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के परिणाम का हवाला दिया जिसमें तीन विभिन्न बैचों के ए०आई०आई० एम०एस० के 10 अ०जा०/अ०ज०जा० स्नातकों को एक भी सीट नहीं दी गई जबकि वे परीक्षा में बैठने के पात्र थे। उन्होंने मांग की :

(1) ए०आई०आई०एम०एस० के सभी अ०जा०/अ०ज०जा० उम्मीदवारों को ए०आई०आई०एम०एस० की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में बैठने दिया जाए चाहे उन्होंने एम०बी०बी०एस० की परीक्षा पास करने के लिए कितने ही प्रयत्न किए हों और इसे मई 1994 की स्नातकोत्तर परीक्षा से प्रभावी बनाया जाए।

(2) ए०आई०आई०एम०एस० के अ०जा०/अ०ज०जा० के स्नातकों के लिए अलग स्नातकोत्तर सीटें आरक्षित की जाएं।

3.30 दिसम्बर 1993 और जनवरी 1994 के दौरान अनेक दैनिक समाचार पत्रों में इस मामले का उल्लेख किया गया क्योंकि इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया था। ए०आई०आई०एम०एस० के अ०जा०/अ०ज०जा० स्नातकों के पक्ष का समर्थन पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज, दिल्ली मेडीकोज एंड साइंटिस्ट फ्रंट और फोरम फार राइट्स एंड इक्वालिटी आदि अनेक मंचों से किया गया और उन सबके द्वारा आयोग को लिखकर यह बताया गया कि किस प्रकार कई वर्षों से संस्थान के अ०जा०/अ०ज०जा० के स्नातकों के प्रति कथित अन्याय किया जा रहा था। उन्होंने आयोग से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की।

3.31 इस मामले में मुख्य प्रश्न संस्थान के विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा देने की पात्रता से संबधित है। ए०आई०आई०एम०एस० ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा में बैठने और संस्थान के स्नातकों के लिए चयन पद्धति और पात्रता के मानदंड निर्धारित किए हैं। नियमों के अनुसार, किसी एक वर्ष में ए०आई०आई०एम०एस० के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए मंजूर की गई कुल सीटों में से 33% सीटें संस्थान के स्नातकों के लिए आरक्षित रहेंगी और शेष 67% सीटें अखिल भारतीय आधार पर पात्रता प्राप्त उम्मीदवारों में से भरी जाएंगी। पात्रता के मानदंड निम्नलिखित है:

(1) उम्मीदवार के पास ए०आई०आई०एम०एस० की अथवा इस प्रयोजन के लिए संस्थान की मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की एम०बी०बी०एस० की डिग्री होनी चाहिए।

(2) उम्मीदवार ने, पंजीकरण से पूर्व, एक मान्यता प्राप्त अस्पताल में अपेक्षित अवधि के लिए इंटर्नशिप अथवा रोटेटिंग हाउसमेनशिप पूरी की हो।

(3) उम्मीदवार ने एम०बी०बी०एस० की सभी परीक्षाओं में कुल 55% अंक (अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए 50%) प्राप्त किए हों और कम से कम एक वर्ष तक इंटर्नशिप के रूप में काम किया हो।

(4) एम०बी०बी०एस० की परीक्षाओं में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण न हुआ हो।

(5) पात्रता निर्धारित करने के लिए अंकों की प्रतिशतता की गणना करने में एम०बी०बी०एस० की किसी परीक्षा में एक या दो बार अनुत्तीर्ण होने पर क्रमश: एक और तीन प्रतिशत अंक काटे जाएंगे।

3.32 ए०आई०आई०एम०एस० अधिकारियों द्वारा यह पद्धति अपनाई जा रही है कि संस्थान के स्नातकों के लिए विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षित 33% सीटों में से संस्थान के अ०जा०/अ०ज०जा० स्नातकों को कोई अलग हिस्सा नहीं दिया जाता। इसके अलावा, संस्थान के अ०जा०/अ०ज०जा० स्नातकों को अखिल भारतीय अ०जा०/अ०ज०जा० स्नातकों के साथ स्पर्धा करनी अपेक्षित होती है।

3.33 इस विषय में विवरण मंगाने के लिए आयोग ने स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय से संपर्क किया और साथ ही ए०आई०आई०एम०-एस० के निदेशक को पत्र लिखकर इन तथ्यों का विवरण भेजने को कहा कि कुल सीटों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों में आरक्षित कोटा में से कितनी सीटें भरी गईं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं भेजा। लेकिन, ए०आई०आई०एम०एस० के अधिकारियों ने आयोग को सूचित किया कि सरकार और विद्यार्थियों की यूनियन के बीच 1978 में हुए समझौते के अनुसार, और बाद में मई 1982 में उन्हें भेजे गए स्पष्टीकरण के अनुसार भी, संस्थान के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्नातकों को प्रवेश देने के बारे में इसी वर्ग के अन्य उम्मीदवारों के साथ ही विचार किया जाता है। यह पद्धति जुलाई 1993 तक प्रचलित रही। संस्थान

के अ०जा०/अ०ज०जा० के स्नातकों द्वारा आंदोलन शुरू किए जाने और संस्थान के स्नातकों के लिए आरक्षित सीटों में से अपना यथोचित हिस्सा मांगने के परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने ए०आई०आई०एम०एस० के अध्यक्ष (केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री) का दिनांक 31-12-93 को निम्नलिखित आदेश संस्थान को भेजा :

"यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अ०जा०/अ०ज०जा० के जो विद्यार्थी संस्थान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने की अर्हता अपनी ही योग्यता के आधार पर प्राप्त करते हैं उन्हें कालिज के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों के कोटा में से चालू वर्ष से ही प्रवेश दिया जाए।"

3.34 संस्थान के अधिकारियों ने प्रवेश के लिए तैयार की गई योग्यता क्रम सूची की पुनरीक्षा की और संस्थान के अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों को अपेक्षित संख्या में सीटें देकर स्वास्थ्य मंत्री के आदेश का क्रियान्वयन किया। पिछले तीन वर्षों (1991, 1992 और 1993) के दौरान प्रवेश की स्थिति के बारे में संस्थान द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अ०जा०/अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं है।

3.35 आयोग का विचार है कि भविष्य में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में ऐसे विवादों से बचने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वर्तमान नीतियों/मार्गनिदेशों की पुनरीक्षा करे और इस विषय में नए असंदिग्ध अनुदेश जारी करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनु०जाति तथा अनु०जनजाति के उम्मीदवारों के हितों का किसी भी स्थिति में हनन न हो, सावधानी बरती जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो प्रवेश परीक्षा के विज्ञापन में अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

3.36 विभिन्न राज्यों के इंजीनियरिंग कालिजों में प्रवेश न दिए जाने के संबंध में आयोग को 6 शिकायतें प्राप्त हुई। इन सभी मामलों के बारे में संबंधित अधिकारियों से बात की गई। एक शिकायत दिल्ली कालिज ऑफ इंजीनियरिंग के बी टैक (अंशकालिक) पाठ्यक्रम में दिल्ली के एक अ०जा० विद्यार्थी को कथित रूप से प्रवेश न दिए जाने के संबंध में थी। आयोग द्वारा यह मामला उठाने पर प्रवेश दे दिया गया।

3.37 संत रविदास आश्रम समिति, शाहदरा के महासचिव ने आयोग को दिनांक 1-12-93 को एक अभ्यावेदन भेजा जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों के प्रति भारी अन्याय किए जाने का आरोप लगाया। आरोप यह था कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने 1993 के दौरान विभिन्न तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 20-7-93, 26-10-93 और 19-11-93 को जारी किए गए विज्ञापन में यह उल्लेख नहीं किया कि प्रवेश के लिए पात्रता का मानदंड कितने प्रतिशत अंकों का था। प्रशासन ने प्रवेश के लिए और फीस आदि की अदायगी के लिए अंतिम तिथि 24-11-93 निर्धारित की थी। अ०जा०/अ०ज०जा० के कुछ विद्यार्थियों ने 23-11-93 से पूर्व निकाले गए विज्ञापनों के उत्तर में अपने आवेदन के फार्म पहले ही भेज दिए थे। 23-11-93 को अकस्मात यह अधिसूचित किया गया कि विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अर्हता परीक्षा के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 50 रखा गया था। जब 24-11-93 को वे अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थी प्रवेश के लिए गए जिनके अंक 49.5% थे तब उन्हें प्रवेश देने से यह कहकर इनकार किया गया कि उन्होंने 50% अंक प्राप्त नहीं किए थे इसलिए वे प्रवेश के पात्र नहीं थे।

3.38 इससे पूर्व इसी अध्याय में यह चर्चा की गई थी कि अ०जा०/अ०ज०जा० के स्थानांतरणीय कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के बच्चों को, जो उन कर्मचारियों के अपने राज्यों के बाहर अन्य राज्यों में स्थित हैं, मेडिकल कालिजों में प्रवेश पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार वर्तमान अनुदेशों की पुनरीक्षा करे और स्थानांतरणीय माता-पिता के बच्चों की यथार्थ समस्याओं के समाधान के लिए समुचित उपाय करे। सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय सभी व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों पर लागू होने चाहिएं।

3.39 आर्ट्स कालिज, शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा तथा फार्मेसी में डिप्लोमा, आदि अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों को प्रवेश न दिए जाने के आरोप के चार मामले 1993-94 के दौरान प्राप्त किए गए।

3.40 दिल्ली के प्रमोद कुमार नामक एक अनुसूचित जाति के विद्यार्थी का दिनांक 17-8-93 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे गवर्नमेंट आर्ट्स कालिज, चण्डीगढ़ में आरक्षित कोटा में से प्रवेश नहीं दिया गया था। उसका कहना था कि अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए 20% (अ०जा० के लिए 15% एवं अ०ज०जा० के लिए 5%) आरक्षण किया जाना चाहिए था और क्योंकि अ०ज०जा० का कोई उम्मीदवार नहीं था इसलिए उसे अ०ज०जा० के कोटा में स्थान दिया जाना चाहिए था क्योंकि अ०जा० एवं अ०ज०जा० का कोटा—दोनों परस्पर परिवर्त्तनीय हैं। अध्यक्ष द्वारा 23-8-93 के अ०शा० पत्र द्वारा चण्डीगढ़ प्रशासन के साथ मामले को उठाया गया। गवर्नमेंट आर्ट्स कालिज, चण्डीगढ़ के प्रिंसिपल ने 25-1-94 को उत्तर भेजा जिसमें स्थिति स्पष्ट की गई। यह स्पष्ट किया गया कि विभिन्न विषयों में प्रवेश की क्षमता 64 थी, जिसमें से 40% सामान्य पूल के लिए और 60 % संघ क्षेत्रों के पूल के लिए थी। अलग-अलग विषयों में, एप्लाइड आर्ट्स के पाठ्यक्रम की 18 सीटों में से 3 सीटें सामान्य पूल के विद्यार्थियों में से भरी जानी थी। अ०जा० के लिए 15% आरक्षण के अनुसार, इस विषय में अनुसूचित जातियों के लिए केवल एक सीट आरक्षित की गई थी। यह सीट श्री मजिंदर सिंह (अ०जा०) को दी गई जिनका नाम योग्यताक्रम सूची में श्री प्रमोद कुमार से ऊपर था। श्री मजिंदर सिंह ने पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया और, इसलिए, आवेदक को स्थान देना संभव नहीं था।

3.41 आरक्षण के सुरक्षणों के उल्लंघन का एक मामला अक्टूबर 1993 में पंजाब की एक अनुसूचित जाति (मजहबी) की लड़की से प्राप्त हुआ। उसका आरोप था कि यद्यपि उसने 32% अंक प्राप्त करके बी०एड० की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली थी, फिर भी, उसे प्रवेश नहीं दिया गया। उसने यह भी कहा था कि, पंजाब सरकार के आदेश के अनुसार, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों में से 50% सीटें मजहबी जाति को दी जानी चाहिए। इस विषय में नवम्बर 1993 में पंजाब के शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों से बात की गई और जुलाई 1994 तक अनुवर्ती कार्यवाही की गई। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3.42 रिपोर्ट के वर्ष के दौरान वृत्तिका/छात्रवृत्ति/वजीफा की राशि की अदायगी न करने/देर से करने तथा ऐसे ही मामलों की 6 शिकायतें मुख्यालय में प्राप्त हुई। एक राज्य के अनुसूचित जाति के दो विद्यार्थियों ने एक अन्य राज्य में मैट्रिकपूर्व वृत्तिका की मांग की थी जिसमें वे पढ़ रहे थे और जिसमें उनकी जाति अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं थी। एक मामले में, आयोग द्वारा कोई कार्यवाही करने से पूर्व ही विद्यार्थी को वृत्तिका की राशि दे दी गई थी। दूसरे मामलों में ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यार्थी के छात्रवृत्ति पाने के अधिकार का उल्लंघन हुआ था। इनमें से एक मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पी०एच०डी० के लिए महाराष्ट्र के एक अनुसूचित जनजाति के व्याख्याता को दीर्घकालिक अध्यतावृत्ति न दिए जाने के बारे में था। अन्य दो मामले अनुसूचित जाति के इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न देने के बारे में और एक अन्य मामला उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के प्रतिरक्षा कर्मचारी का था जिसका पुत्र हरियाणा के किसी कालिज में पढ़ रहा था। इन सभी मामलों के बारे में संबंधित अधिकारियों से बात की गई लेकिन नियमित अनुवर्ती कार्यवाही करने पर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। दोनों मामलों का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

3.43 पहला मामला एक सामान्य शिकायत का था। यह शिकायत रोहतक के एक एडवोकेट ने की थी। उसका आरोप था कि हरियाणा में इंजीनियरिंग कालिज, मुर्थल जिला सोनीपत के अधिकारी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के फार्म समय पर वितरित नहीं कर रहे थे और इस बारे में आवश्यक सूचना को सूचना को सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, अ०जा० के अनेक विद्यार्थी या तो छात्रवृत्तियों से वंचित रहे और यदि उन्हें छात्रवृत्ति दी भी गई तो कम राशि दी गई। शिकायतकर्ता ने छात्रवृत्ति न दिए जाने/कम राशि दिए जाने के लिए किसी विशिष्ट मामले का कोई उल्लेख नहीं किया। संबंधित कालिज के प्रिंसिपल को एक पत्र भेजा गया लेकिन यह पैराग्राफ लिखते समय तक उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था।

3.44 दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के केन्द्रीय सरकार के एक कर्मचारी की शिकायत का था। इस कर्मचारी का पुत्र हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधीन गुरु नानक खालसा कालिज, यमुनानगर में बी०एस०सी० के पाठयक्रम में प्रथम वर्ष से अध्ययन कर रहा था। शिकायत यह थी कि उसके पुत्र को 1991 में कालिज में प्रवेश लेने के समय से न तो फीस में कोई रियायत दी गई और न कोई छात्रवृत्ति दी गई। शिकायतकर्त्ता के अनुसार कालेज के अधिकारियों ने उसे बताया कि उसके पुत्र को छात्रवृत्ति दी जाएगी यदि वह उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त होती हो। उसने यह भी आरोप लगाया है कि वह 1992 से सब दरवाजों पर दस्तक दे चुका है और सभी संबंधित अधिकारियों को लिख चुका है लेकिन किसी ने कार्यवाही नहीं की। वह इस विषय में लखनऊ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी मिला लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कालिज अधिकारियों ने उसे सही सूचना दी थी। योजना के अनुसार, एक राज्य के रहने वाले लेकिन दूसरे राज्य के शिक्षा संस्थान में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति देने के लिए छात्रवृत्ति की राशि उस राज्य द्वारा मंजूर की जाती है जिसका वह रहने वाला है तथा उस शिक्षा संस्था को भेज दी जाती है जिसमें वह पढ़ता है।

3.45 तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जाति के इस लड़के को भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लाभ से 3 वर्ष तक वंचित रखा गया जिसका वह हकदार था। आयोग की सिफारिश है कि कल्याण मन्त्रालय राज्य सरकारों से कहे कि वे इस अत्यधिक उपयोगी योजना को कारगर बनाएं ताकि लाभार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति की राशि दी जा सके।

3.46 आरक्षण सुरक्षणों के कथित उल्लंघन से संबंधित उपर्युक्त उल्लिखित विशिष्ट मामलों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों/सुविधाओं के उपवंचन के अतिरिक्त वर्ष 1993-94 के दौरान विविध मुद्दों पर 28 मामले प्राप्त हुए थे। इनमें से 11 अध्ययन करने, कुछ क्षेत्रों में नए विद्यालय खोलने और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु किए गए अनुरोधों से संबंधित थे। 15 मामलों में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा अनु०जा०/अनु०ज०जा० विद्यार्थियों और शिक्षकों को परेशान करने से संबंधित आरोप लगाए गए थे। दूसरे दो मामलों में उच्च जाति के शिक्षकों द्वारा अनु०जा०/अनु०ज०जा० के विद्यार्थियों को परीक्षा में अंक देने में भेदभाव करने और उन्हें जानबूझकर अनुत्तीर्ण करने के प्रयत्न से संबंधित आरोप लगाए गए थे।

3.47 जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के दो संगठनों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी कल्याण संघ और यूनाइटेड दलित स्टूडेंट्स फोरम ने इस आयोग से यह अभ्यावेदन किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति/व्याख्याता पद के अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता का मानदंड कम किया जाना चाहिए। इस मामले का विवरण निम्नलिखित है।

3.48 उपरोक्त दोनों विद्यार्थी संगठनों के दो अलग-अलग अभ्यावेदन दिनांक 23-2-94 और 26-4-94 को प्राप्त हुए। अभ्यावेदन के अनुसार, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति/व्याख्याता पद के लिए चयन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति में हाल ही में हुए परिवर्तन से उनके आकांक्षी अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों का अहित हुआ है। नई नीति में यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वह अ०जा०/अ०ज०जा० का या सामान्य वर्ग का हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ली जाने वाली राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा द्वारा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति/व्याख्याता पर दिया जाएगा। इसके लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में 55% या इससे अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार ही पात्र होंगे। अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों के लिए न तो कोई रियायत दी गई है और न कोई आरक्षण किया गया है। विद्यार्थियों ने मांग की है कि सभी कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों/व्याख्याता पदों के लिए 22.5% आरक्षण होना चाहिए और अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड, 55% न होकर, उतना ही प्रतिशत होना चाहिए जितना स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने के लिए होता है। आयोग के अध्यक्ष ने इस विषय में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से संपर्क किया और उनसे यह सुनिश्चित

करने का आग्रह किया कि अ०जा०/अ०ज०जा० हितों को समुचित सुरक्षण मिले और अ०जा०/अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व को कम करने का कोई प्रयत्न न हो। मंत्री ने अपने उत्तर में सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चौथे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर व्याख्याताओं के बदले हुए वेतन क्रमों को दृष्टि में रखकर, जो अनेक सरकारी विभागों के वेतन क्रमों से अधिक थे, पात्रता के मानदंड में परिवर्तन किया है। उनका तर्क था कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था कि पढ़ाने के व्यवसाय की ओर श्रेष्ठतम प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति आकर्षित हों। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि क्योंकि पांचवे वेतन आयोग की स्थापना पहले ही हो चुकी है इसलिए पात्रता मानदंड में समुचित परिवर्तन करने पर विचार नए वेतनमान घोषित करने के बाद किया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजे गए अपने उत्तर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी यह उल्लेख किया था कि आरक्षण/क्रियान्वयन उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि जिन उम्मीदवारों ने स्नातकोत्तर परीक्षा दूसरी श्रेणी में पास की होगी वे सभी उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। जहां तक अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए क्रमश: 15% और 7½% आरक्षण किए जाने का प्रश्न था, यह विषय विचाराधीन था।

3.49 आयोग यह बताना चाहता है कि केन्द्रीय सरकार/सभी राज्य सरकारों का यह सांविधानिक दायित्व है कि वे नीति संबंधी ऐसे सभी प्रमुख मामलों पर आयोग की राय लें जिनसे अ०जा०/अ०ज०जा० के हित प्रभावित होते हों। इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति/व्याख्याता पद की पात्रता के मानदंड को परिवर्तित करने के नीति संबंधी निर्णय लिए और ऐसा करके, आयोग की राय लिए बिना अ०जा०/अ०ज०जा० के हितों को नुकसान पहुंचाया।

3.50 अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों के हितों को सुरक्षण प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति/व्याख्याता पद के लिए मानदंड में पुनर्विचार करना अपेक्षित है।